अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉंदीकुई मुकाम–बॉंदीकुई
जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉंदीकुई
उनवान– सुधीर कुमार बनाम नवल किशोर वगै.
दावा बाबत– स्थायी निषेधाज्ञा
मु.न. 123/2024

आदेश है कि वादी वाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा भूमि काश्त वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा के नये खाता संख्या 24 पुराने 24 जिसके आराजी खसरा न0 111 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही ए जाव ए कुल किता एक कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर, नये खाता सख्या 33 पुराने 32 जिसके आराजी खसरा न0 1332/112 रकबा 0.05 हैक्टेयर चाही ए वाही बी कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर, नये खाता संख्या 34 पुराने 33 जिसके आराजी खसरा न0 170 रकबा 0.53 हैक्टेयर चाही ए कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हैक्टे0, नये खाता संख्या 78 पुराने 79 जिसके आराजी खसरा न0 159 रकबा 0.10 हैक्ट0, चाही ए, खसरा न0 166 रकबा 0.31 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 167 रकबा 0.64 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 182 रकबा 0.81 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 183 रकबा 0.57 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 188 रकबा 0.25 चाही ए, खसरा न0 190 रकबा 0.37 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 194 रकबा 0.42 हैक्ट0 चाही ए, खसरा न0 196 रकबा 0.46 हैक्टे0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.48 हैक्टे0, नये खाता संख्या 92 पुराने 87 जिनके आराजी खसरा न0 174 रकबा 0.50 हैक्टे0 चाही ए, कुल किता 01 कुल रकबा 0.50, नये खाता संख्या 93 पुराने 88 जिसके आराजी खसरा न0 104/1141 रकबा 0.05 हैक्टे0 बारानी ए, खसरा न0 110 रकबा 0.20 हैक्टे0 गै.मु. बोरिंग कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टे., नये खाता संख्या 94 पुराने 89 जिसके आराजी खसरा न0 308/1199 रकबा 0.20 हैक्टे0, नये खाता सं. 95 पुराने 90 जिसके आराजी खसरा न0 191 रकबा 0.05 हैक्टे0 गै.मु. झेरा कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टे0 प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान में खातेदार होने से उसकी खातेदारी भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिये दावा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निज.....मुबलिग.....बाबत्.....
...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

26/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखंड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.....
ओहदा.....26/12/25

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

पीठा सीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत आर.ए.एस

मु.न. 123/2024)
दर्ज दिनांक 31.07.2024
निर्णय दिनांक 26.12.2025

उनवान

1. सुधीर कुमार पुत्र नवलकिशोर जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 08 चौधरी की ढाणी सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र बालचन्द
2. भवानी सिंह पुत्र नवलकिशोर जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 चौधरी की ढाणी सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई

...प्रतिवादी

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता श्री ऋषिराज शर्मा एडवोकेट

दावा स्थाई निषेधाज्ञा भूमि काश्त स्थित ग्राम श्यालावास खुर्द

:::–निर्णय–:::

दिनांकः– 26.12.2025

वादी द्वारा वाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जरिये वकिल न्यायालय हाजा में पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–(A)वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा के नये खाता संख्या 24 पुराने 24 जिसके आराजी खसरा न0 111 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही ए जाव ए कुल किता एक कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर लगानी 10 रूपये 34 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा पृथक से 1/104 की काश्तकार का अंकन दर्ज है जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। (B) वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई के नये खाता सख्या 33 पुराने 32 जिसके आराजी खसरा न0 1332 /112 रकबा 0.05 हैक्टेयर चाही ए वाही बी कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर लगानी 2 रूपये 12 पैसे स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में तन्हा प्रतिवादी संख्या 01 का खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है। (C) नये खाता संख्या 34 पुराने 33 जिसके आराजी खसरा न0 170 रकबा 0.53 हैक्टेयर चाही ए कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हैक्टे0 लगानी 28 रूपये 9 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का तन्हा खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है। (डी) नये खाता संख्या 78 पुराने 79 जिसके आराजी खसरा न0 159 रकबा 0.10 हैक्ट0, चाही ए, खसरा न0 166 रकबा 0.31 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 167 रकबा 0.64 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 182 रकबा 0.81 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 183 रकबा 0.57 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 188 रकबा 0.25 चाही ए, खसरा न0 190 रकबा 0.37 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 194 रकबा 0.42 हैक्ट0 चाही ए, खसरा न0 196 रकबा 0.46 हैक्टे0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.48 हैक्टे0 लगानी 235 रूपये 59 पैसे स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का पृथक से हिस्सा 1/4 के काश्तकार का अंकन दर्ज कर है। नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ संलग्न है।(ई) नये खाता संख्या 92 पुराने 87 जिनके आराजी खसरा न0 174 रकबा 0.50 हैक्टे0 चाही ए, कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 लगानी 26 रूपये 50 पैसे राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का पृथक से हिस्सा 13/50 के काश्तकार का अंकन दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ संलग्न है।(एफ) नये खाता संख्या 93 पुराने 88

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

पीठा सीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत आर.ए.एस

मु.न. 123/2024)
दर्ज दिनांक 31.07.2024
निर्णय दिनांक 26.12.2025

उनवान

1. सुधीर कुमार पुत्र नवलकिशोर जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 08 चौधरी की ढाणी सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र बालचन्द
2. भवानी सिंह पुत्र नवलकिशोर जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 चौधरी की ढाणी सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई

...प्रतिवादी

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता श्री ऋषिराज शर्मा एडवोकेट

दावा स्थाई निषेधाज्ञा भूमि काश्त स्थित ग्राम श्यालावास खुर्द

:::–निर्णय–:::

दिनांकः– 26.12.2025

वादी द्वारा वाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जरिये वकिल न्यायालय हाजा में पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–(A)वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा के नये खाता संख्या 24 पुराने 24 जिसके आराजी खसरा न0 111 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही ए जाव ए कुल किता एक कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर लगानी 10 रूपये 34 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा पृथक से 1/104 की काश्तकार का अंकन दर्ज है जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। (B) वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई के नये खाता सख्या 33 पुराने 32 जिसके आराजी खसरा न0 1332 /112 रकबा 0.05 हैक्टेयर चाही ए वाही बी कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर लगानी 2 रूपये 12 पैसे स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में तन्हा प्रतिवादी संख्या 01 का खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है। (C) नये खाता संख्या 34 पुराने 33 जिसके आराजी खसरा न0 170 रकबा 0.53 हैक्टेयर चाही ए कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हैक्टे0 लगानी 28 रूपये 9 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का तन्हा खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है। (डी) नये खाता संख्या 78 पुराने 79 जिसके आराजी खसरा न0 159 रकबा 0.10 हैक्ट0, चाही ए, खसरा न0 166 रकबा [illegible] हैक्टे0 चाही [illegible] खसरा न0 167 रकबा 0.64 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 182 र[illegible] हैक्टे0 [illegible] खसरा न0 183 रकबा 0.57 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 188 रक[illegible] ाही ए [illegible] 190 रकबा 0.37 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 194 रकबा 0.42 [illegible] रकबा 0.46 हैक्टे0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.48 हैक्टे0 [illegible] थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या [illegible] 4 के काश्तकार का अंकन दर्ज कर है। नकल जमाबंदी सम्व[illegible] संल[illegible] है।(ई) नये खाता संख्या 92 पुराने 87 जिनके आरा[illegible] .50 चाही ए, कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 लगानी [illegible] अ[illegible] प्रतिवादी संख्या 01 का पृथक से हिस्सा 13/[illegible] जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

पीठा सीन अधिकारी:– रामसिंह राजावत आर.ए.एस

मु.न. 123/2024)
दर्ज दिनांक 31.07.2024
निर्णय दिनांक 26.12.2025

उनवान

1. सुधीर कुमार पुत्र नवलकिशोर जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 08 चौधरी की ढाणी सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र बालचन्द
2. भवानी सिंह पुत्र नवलकिशोर जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 चौधरी की ढाणी सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई

...प्रतिवादी

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता श्री ऋषिराज शर्मा एडवोकेट

दावा स्थाई निषेधाज्ञा भूमि काश्त स्थित ग्राम श्यालावास खुर्द

:::–निर्णय–:::

दिनांकः– 26.12.2025

वादी द्वारा वाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जरिये वकिल न्यायालय हाजा में पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–(A)वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा के नये खाता संख्या 24 पुराने 24 जिसके आराजी खसरा न0 111 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही ए जाव ए कुल किता एक कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर लगानी 10 रूपये 34 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा पृथक से 1/104 की काश्तकार का अंकन दर्ज है जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। (B) वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई के नये खाता सख्या 33 पुराने 32 जिसके आराजी खसरा न0 1332 /112 रकबा 0.05 हैक्टेयर चाही ए वाही बी कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर लगानी 2 रूपये 12 पैसे स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में तन्हा प्रतिवादी संख्या 01 का खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है। (C) नये खाता संख्या 34 पुराने 33 जिसके आराजी खसरा न0 170 रकबा 0.53 हैक्टेयर चाही ए कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हैक्टे0 लगानी 28 रूपये 9 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का तन्हा खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है। (डी) नये खाता संख्या 78 पुराने 79 जिसके आराजी खसरा न0 159 रकबा 0.10 हैक्ट0, चाही ए, खसरा न0 166 रकबा 0 हैक्टे0 चाही खसरा न0 167 रकबा 0.64 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 182 रक हक्टे0 च खसरा न0 183 रकबा 0.57 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 188 रकब ही ए, 190 रकबा 0.37 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 194 रकबा 0.42 है ए, ख रकबा 0.46 हैक्टे0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.48 हैक्टे0 ल रूपरे है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 पे के काश्तकार का अंकन दर्ज कर है। नकल जमाबंदी सम्वत लग्न है।(ई) नये खाता संख्या 92 पुराने 87 जिनके आराजी हक्टे0 चाही ए, कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 लगानी 2 लेख प्रतिवादी संख्या 01 का पृथक से हिस्सा 13/50 जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ संलग्

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

पीठा सीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत आर.ए.एस

मु.न. 123/2024)
दर्ज दिनांक 31.07.2024
निर्णय दिनांक 26.12.2025

उनवान

1. सुधीर कुमार पुत्र नवलकिशोर जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 08 चौधरी की ढाणी सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र बालचन्द
2. भवानी सिंह पुत्र नवलकिशोर जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 चौधरी की ढाणी सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई

...प्रतिवादी

उपस्थितः— वादी अधिवक्ता श्री ऋषिराज शर्मा एडवोकेट

दावा स्थाई निषेधाज्ञा भूमि काश्त स्थित ग्राम श्यालावास खुर्द

:::—निर्णय—:::

दिनांकः— 26.12.2025

वादी द्वारा वाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जरिये वकिल न्यायालय हाजा में पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—(A)वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा के नये खाता संख्या 24 पुराने 24 जिसके आराजी खसरा न0 111 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही ए जाव ए कुल किता एक कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर लगानी 10 रूपये 34 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2074—77 में प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा पृथक से 1/104 की काश्तकार का अंकन दर्ज है जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। (B) वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई के नये खाता सख्या 33 पुराने 32 जिसके आराजी खसरा न0 1332 /112 रकबा 0.05 हैक्टेयर चाही ए वाही बी कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर लगानी 2 रूपये 12 पैसे स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में तन्हा प्रतिवादी संख्या 01 का खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2074—77 वादपत्र के साथ पेश है। (C) नये खाता संख्या 34 पुराने 33 जिसके आराजी खसरा न0 170 रकबा 0.53 हैक्टेयर चाही ए कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हैक्टे0 लगानी 28 रूपये 9 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का तन्हा खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2074—77 वादपत्र के साथ पेश है। (डी) नये खाता संख्या 78 पुराने 79 जिसके आराजी खसरा न0 159 रकबा 0.10 हैक्ट0, चाही ए, खसरा न0 166 रकबा 0.31 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 167 रकबा 0.64 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 182 रकबा 0.81 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 183 रकबा 0.57 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 [illegible] चाही ए, खसरा न0 190 रकबा 0.37 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 194 [illegible] ही ए, खसरा न0 196 रकबा 0.46 हैक्टे0 कुल किता 10 कुल रकबा [illegible] स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में [illegible] काश्तकार का अंकन दर्ज कर है। [illegible] है।(ई) नये खाता संख्या 92 [illegible] चाही ए, कुल किता 01 [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 का [illegible] जमाबंदी सम्वत 2074— [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

जिसके आराजी खसरा न0 104/1141 रकबा 0.05 हैक्टे0 बारानी ए, खसरा न0 110 रकबा 0.20 हैक्टे0 गै.मु. बोरिंग कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टे. लगानी 80 पैसे स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का अंकन दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है। (जी) नये खाता संख्या 94 पुराने 89 जिसके आराजी खसरा न0 308/1199 रकबा 0.20 हैक्टे0 लगानी 2 रूपये 40 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का पृथक से हिस्सा 1/6 के काश्तकार का अंकन दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है(एच) नये खाता सं. 95 पुराने 90 जिसके आराजी खसरा न0 191 रकबा 0.05 हैक्टे0 गै.मु. झेरा कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टे0 लगान रहित स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का पृथक से हिस्सा 1/12 के काश्तकार का अंकन दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ संलग्न है।(2) वादपत्र के चरण संख्या 1(ए) लगायत 1 चरण संख्या 1(एच) तक में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पिता बालचन्द स्वं पितामह झूंथा से प्राप्त संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पत्ति रही है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रतिवादी न0 01 की स्व. अर्जित संम्पत्ति नही रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित होते आ रहे है। तथा हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान प्रभावी है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है–

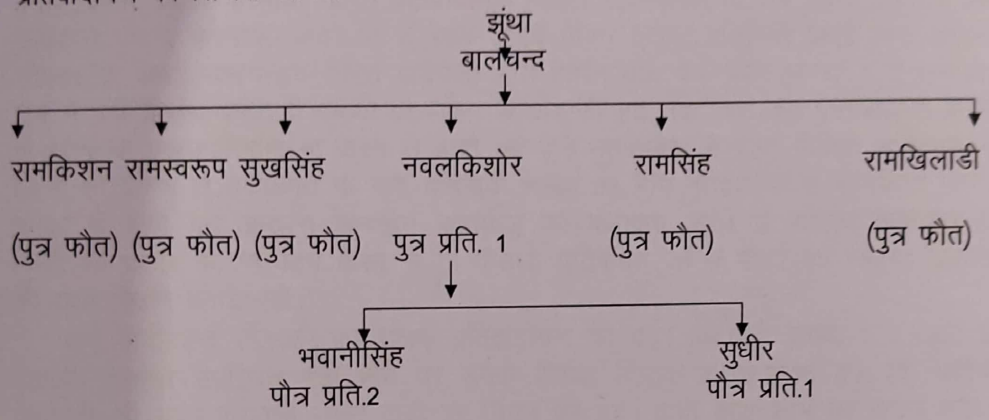

3. चरण संख्या 1(ए) लगायत 1(एच) में वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जिसके साबिक खसरा न0 181,182,184,194,198,200,201,202,204/1,204/2,204/3,204/4,204/5,204/6,297,300,1 95,196,197 कुल किता 19 रकबा 55 बिघा 2 बिस्वा से बने है। सम्वत 2024–27 तथा सम्वत 2036–2039 की जमाबंदी का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने से वादी अपने पितामह की भूमि में जन्म से ही अधिकार रखता है जिससे वादी उत्तरजीवि की भांति प्राप्त करने का अधिकारी रहा है। नकल जमाबंदी सम्वत 2024–27 जमाबंदी सम्वत 2036–39 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2052–71 नकल नामान्तकरण सम्वत 210 दिनांक 19.09.1977 वादपत्र के साथ पेश है। 4. प्रतिवादी संख्या 01 वादी का प्राकृतिक पिता व प्रतिवादी संख्या 02 सगा भाई है प्रतिवादी सख्या 01 जों शुरू से ही अपने बडे पुत्र प्रतिवादी संख्या 02 भवानीसिंह से स्नेह रखता है। प्रतिवादी संख्या 01 बिना किसी विधिक आवश्यकता एवं जरूरत के वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी संख्या 02 के बहकावे में आकर रहन बय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य व्यवसायिक परिसर एवं आवासीय परिसर को रहन रखकर विभिन्न संस्था एवं बैंकिंग से ऋण प्राप्त कर चुका है जिसकी अभी तक अदायगी समय पर नही होने से सम्पत्ति के कुर्क नीलाम होने की नौबत आ गई है। प्रतिवादी संख्या 01 जो प्रतिवादी संख्या 02 के बहकावे में आकर वादग्रस्त आराजीयात को भी रहन बय करना चाहता है। दिनांक 15.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 ने एंलानिया धमकी दी है कि वादग्रस्त भूमि मे से मेरे दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को बेचान करूंगा तथा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दान करूगा तथा मुझे(वादी) को कुछ भी हिस्सा वादग्रस्त भूमि में से नहीं दूगा। यदि दोनो प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को रहन बय कर मुन्तकिल कर देगे तो वादी अपने हक हकूक अधिकारों से वंचित हो जावेगा जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को रहन बय करने का विधि प्रदत्त अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि वादी के पितामहा से वंशानुगत

Scanned with OKEN Scanner

जिसके आराजी खसरा न0 104/1141 रकबा 0.05 हैक्टे0 बारानी ए, खसरा न0 110 रकबा 0.20 हैक्टे0 गै.मु. बोरिंग कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टे. लगानी 80 पैसे स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का अंकन दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है। (जी) नये खाता संख्या 94 पुराने 89 जिसके आराजी खसरा न0 308/1199 रकबा 0.20 हैक्टे0 लगानी 2 रूपये 40 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का पृथक से हिस्सा 1/6 के काश्ताकार का अंकन दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ पेश है(एच) नये खाता सं. 95 पुराने 90 जिसके आराजी खसरा न0 191 रकबा 0.05 हैक्टे0 गै.मु. झेरा कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टे0 लगान रहित स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 का पृथक से हिस्सा 1/12 के काश्तकार का अंकन दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 वादपत्र के साथ संलग्न है।(2) वादपत्र के चरण संख्या 1(ए) लगायत 1 चरण संख्या 1(एच) तक में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पिता बालचन्द स्वं पितामह झूंथा से प्राप्त संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पत्ति रही है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रतिवादी न0 01 की स्व. अर्जित संम्पत्ति नही रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित होते आ रहे है। तथा हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान प्रभावी है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है–

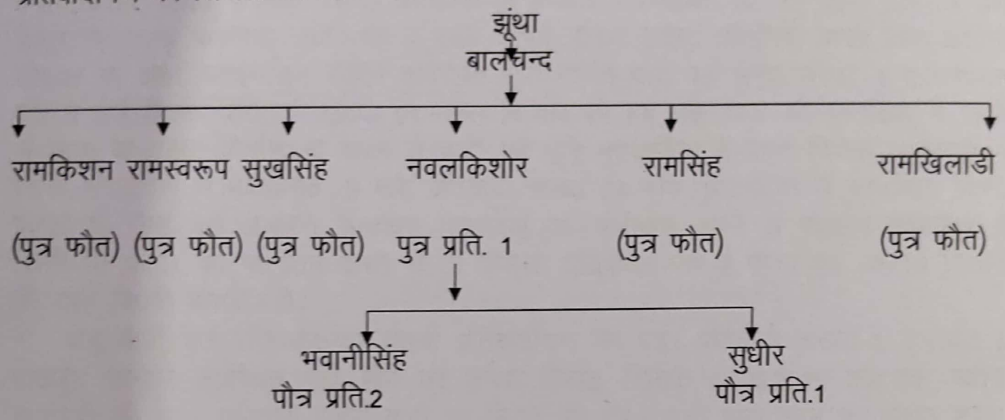

3. चरण संख्या 1(ए) लगायत 1(एच) में वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जिसके साबिक खसरा न0 181,182,184,194,198,200,201,202,204/1,204/2,204/3,204/4,204/5,204/6,297,300,195,196,197 कुल किता 19 रकबा 55 बिघा 2 बिस्वा से बने है। सम्वत 2024–27 तथा सम्वत 2036–2039 की जमाबंदी का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने से वादी अपने पितामह की भूमि में जन्म से ही अधिकार रखता है जिससे वादी उत्तरजीवि की भांति प्राप्त करने का अधिकारी रहा है। नकल जमाबंदी सम्वत 2024–27 जमाबंदी सम्वत 2036–39 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2052–71 नकल नामान्तकरण सम्वत 210 दिनांक 19.09.1977 वादपत्र के साथ पेश है। 4. प्रतिवादी संख्या 01 वादी का प्राकृतिक पिता व प्रतिवादी संख्या 02 सगा भाई है प्रतिवादी सख्या 01 जों शुरू से ही अपने बडे पुत्र प्रतिवादी संख्या 02 भवानीसिंह से स्नेह रखता है। प्रतिवादी संख्या 01 बिना किसी विधिक आवश्यकता एवं जरूरत के वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी संख्या 02 के बहकावे में आकर रहन बय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य व्यवसायिक परिसर एवं आवासीय परिसर को रहन रखकर विभिन्न संस्था एवं बैंकिंग से ऋण प्राप्त कर चुका है जिसकी अभी तक अदायगी समय पर नही होने से सम्पत्ति के कुर्क नीलाम होने की नौबत आ गई है। प्रतिवादी संख्या 01 जो प्रतिवादी संख्या 02 के बहकावे में आकर वादग्रस्त आराजीयात को भी रहन बय करना चाहता है। दिनांक 15.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 ने एंलानिया धमकी दी है कि वादग्रस्त भूमि मे से मेरे दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को बेचान करूंगा तथा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दान करूगा तथा मुझे(वादी) को कुछ भी हिस्सा वादग्रस्त भूमि में से नहीं दूगा। यदि दोनो प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को रहन बय कर मुन्तकिल कर देगे तो वादी अपने हक हकूक अधिकारों से वंचित हो जावेगा जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को रहन बय करने का विधि प्रदत्त अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि वादी के पितामहा से वंशानुगत

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति रही है। जिसके वादी को जन्म से प्राप्त करने का अधिकर रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 को वादग्रस्त सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करने से रोका जाना कानूनन नितान्त आवश्यक है। जिसके लये पाबन्द किया जाना आवश्यक है। तथा वादी को अंदेशा है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 मिलकर बेचने का करार कर चुके है। 5. यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज अवैध उद्वेश्य में सफल हो गये तो वादी को अपूर्तिनीय क्षति कारित होगी तथा वादी विधि द्वारा प्रदत्त हक अधिकार से वंचित हो जावेगा ऐसी सूरत में जुमले प्रतिवादी को फौरी तौर पर इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वे नौकर एजेन्ट, प्रतिनिधि, पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर या अन्य मददगारान वादग्रस्त भूमि में दर्ज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 नवल किशोर की हद तक रहन बय मुन्तकिल न करे ना ही प्रतिवी संख्या 02 इस प्रकार का कोई परिवर्तन अन्तरण राजस्व अभिलेख में करे। इसके लिए ता फैसला पाबन्द किये जाने हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश है। 6. वादग्रस्त सम्पत्ति एवं पक्षकारान न्यायालय क्षेत्र में स्थित होने से न्यायालय हाजा को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार हॉसिल है। 7. योम दावा बिनाय मुखास्मत दिनांक 15.07.2024 को वादग्रस्त भूमि में से सम्पूर्ण हिस्से को खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकि देने से व गुपचुप करार करने से उत्पन्न हुआ है दावा अन्दर मियाद पेश है।

लिहाजा इस्तदुआ है कि बाद तहकीकात दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 02 को फौरी तौर पर इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे। कि वे स्वंय जरिये नौकर एजेन्ट प्रतिनिधि पावंर आफ अटोर्नी होल्डर या अन्य मददगारान सहित वादग्रस्त भूमि वर्णित वाद पत्र चरण संख्या 1 ए लगायत एच में दर्ज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 नवल किशोर की हद तक रहन बय मुन्तकिल न करने से खाम या पुख्ता निर्माण ना करने से वादी को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारो में किसी भी प्रकार से मजाहमत ना करे, प्रतिवादी संख्या 03 भूमि मुतदाविया से सम्बन्धित किसी प्रकार से रहन बय अन्तरण सम्बधित दस्तावेज को पंजीकृत करने से राजस्व अभिलेख मे किसी भी प्रकार का परिर्वतन करने से ता फैसला प्रतिबंधित रहे व मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 14.02.2025 को एक पक्षीय कार्यवही की गई। पत्रावली साक्ष्य वादी पर नियत की गई। वादी द्वारा स्वंम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादपत्र के चरण संख्या 1 (ए) लगायत 1 चरण संख्या 1(एच) तक में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पिता बालचन्द स्वं पितामह झूंथा से प्राप्त संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पत्ति रही है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रतिवादी न0 01 की स्व. अर्जित संम्पत्ति नही रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित होते आ रहे है। तथा हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने से वादी अपने पितामह की भूमि में जन्म से ही अधिकार रखता है जिससे वादी उत्तरजीवि की भांति प्राप्त करने का अधिकारी रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 वादी का प्राकृतिक पिता व प्रतिवादी संख्या 02 सगा भाई है प्रतिवादी सख्या 01 जों शुरू से ही अपने बडे पुत्र प्रतिवादी संख्या 02 भवानीसिंह से स्नेह रखता है। प्रतिवादी संख्या 01 बिना किसी विधिक आवश्यकता एवं जरूरत के वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी संख्या 02 के बहकावे में आकर रहन बय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 को पाबन्द किया जावे।

बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रकरण प्रतिवादीगण का जवाब पेश नही हुआ है। जिसके कारण तनकीयात कायम नही की गई है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहता है। वादी द्वारा वाद की ताईद में प्रदर्श 1 संवत 2024 से 2027 की जमाबन्दी पेश की गई जिसमें बालचन्द पुत्र झुथा का नाम दर्ज, प्रदर्श 2 नामान्तरण संख्या 210, प्रदर्श 3 संवत 2036 से 2039 जमाबन्दी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 नवल किशोर का नाम दर्ज है। प्रदर्श –4 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–2071, प्रदर्श –5 खाता संख्या नया 24 पुराना 24 सवत 2074–2077 जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त खातेदारान के नाम दर्ज है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श 6 खाता संख्या नया 33 पुराना 32 प्रदर्श 7 खाता संख्या नया 34 पुराना 33 जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। प्रदर्श 8,9,10,11,12 प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रदर्श 1 संवत 2024 से 2027 की जमाबन्दी बालचन्द पुत्र झुथा का नाम दर्ज, संजरा खानदान अनुसार वादी के दादा है। जिससे प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पोषणीय नही है। खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा भूमि काश्त वाके ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा के नये खाता संख्या 24 पुराने 24 जिसके आराजी खसरा न0 111 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही ए जाव ए कुल किता एक कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर, नये खाता सख्या 33 पुराने 32 जिसके आराजी खसरा न0 1332 / 112 रकबा 0.05 हैक्टेयर चाही ए वाही बी कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर, नये खाता संख्या 34 पुराने 33 जिसके आराजी खसरा न0 170 रकबा 0.53 हैक्टेयर चाही ए कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हैक्टे0, नये खाता संख्या 78 पुराने 79 जिसके आराजी खसरा न0 159 रकबा 0.10 हैक्ट0, चाही ए, खसरा न0 166 रकबा 0.31 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 167 रकबा 0.64 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 182 रकबा 0.81 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 183 रकबा 0.57 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 188 रकबा 0.25 चाही ए, खसरा न0 190 रकबा 0.37 हैक्टे0 चाही ए, खसरा न0 194 रकबा 0.42 हैक्ट0 चाही ए, खसरा न0 196 रकबा 0.46 हैक्टे0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.48 हैक्टे0, नये खाता संख्या 92 पुराने 87 जिनके आराजी खसरा न0 174 रकबा 0.50 हैक्टे0 चाही ए, कुल किता 01 कुल रकबा 0.50, नये खाता संख्या 93 पुराने 88 जिसके आराजी खसरा न0 104/1141 रकबा 0.05 हैक्टे0 बारानी ए, खसरा न0 110 रकबा 0.20 हैक्टे0 गै.मु. बोरिंग कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टे., नये खाता संख्या 94 पुराने 89 जिसके आराजी खसरा न0 308/1199 रकबा 0.20 हैक्टे0, नये खाता सं. 95 पुराने 90 जिसके आराजी खसरा न0 191 रकबा 0.05 हैक्टे0 गै.मु. झेरा कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टे0 प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान में खातेदार होने से उसकी खातेदारी भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिये दावा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

26/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner